न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व आवेदन संख्या 291 / 2023 अन्तर्गत धारा 251A RT Act.

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. अलसाराम पुत्र बागाराम 2. नगाराम पुत्र बागाराम 3. बाबुराम पुत्र बागाराम 4. सामाराम पुत्र बागाराम जाति कुम्हार, निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1 गेरो देवी पत्नी कानाराम 2 जेताराम पुत्र देदाराम 3 जोगाराम पुत्र कानाराम 4 तुलसाराम पुत्र देदाराम 5 भूराराम पुत्र कानाराम 6 मेवाराम पुत्र कानाराम 7 राणाराम पुत्र हीरराम 8 सगताराम पुत्र हीरराम 9 संजु पत्नी भगवानाराम 10 सरूपाराम पुत्र हीरराम जाति कुम्हार, निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील शिव, जिला बाड़मेर 11 शाखा प्रबंधक, बैक ऑफ इण्डिया शाखा शिव 12 शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक शाखा शिव 13 डूंगराराम पुत्र लिछमणाराम 14 सरूपाराम पुत्र लिछमणाराम 15 कुटली पत्नी बक्शाराम 16 पुरखाराम पुत्र बक्शाराम 17 लच्छाराम पुत्र बक्शाराम 18 वीराराम पुत्र बक्शाराम 19 सगताराम पुत्र बक्शाराम, जाति कुम्हार निवासी लक्ष्मीपुरा, तहसील शिव, जिला बाड़मेर 20 शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा बाड़मेर 21 राज. राज्य जरिये तहसीलदार शिव

उपस्थित :– अधिवक्ता प्रार्थीगण – श्री बलराम प्रजापत।
अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 1 से 10 – श्री देवीलाल कुमावत।
अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 15 से 19 – श्री जेठाराम कुमावत।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव जिला-बाड़मेर सत्यमेव जयते

–:: आदेश ::–

दिनांक : 28.01.2026

संक्षेप में आवेदन के तथ्य निम्न प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जासुदा खेत मौजा लक्ष्मीपुरा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 60 रकबा 17.4824 हैक्टेयर आया हुआ है, जिसमें प्रार्थीगण का निर्बाध रूप से कब्जा काश्त है तथा रहवासी ढाणी व मवेशियों के बाड़े बने हुए है। प्रार्थीगण को अपने खातेदारी जोत में आने जाने हेतु उससे लगते विप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 75 रकबा 32.8766 हैक्टेयर में प्रार्थीगण के आवागमन हेतु नवीन रास्ता खुलवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रस्तावित भूमि विप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में काश्त करने के लिए तथा कृषि कार्य के लिए ट्रेक्टर व अन्य साधन लाने व ले जाने हेतु उक्त प्रस्तावित रास्ते का ही उपयोग लिया जा रहा है। प्रार्थीगण को उक्त प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम एवं लघुतम रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रस्तावित रास्ता आगे सड़क मार्ग से जुड़ने हेतु चाहा गया है। प्रार्थीगण का उक्त प्रस्तावित रास्ता नियमानुसार धारा 251 ए की सम्पूर्ण अर्हताएं पूरी करता है। प्रार्थीगण उक्त रास्ते हेतु घोषित की जाने वाली भूमि की क्षतिपूर्ति राशि जमा करवाने हेतु वचनबद्ध हैं। अतः प्रार्थीगण का निवेदन है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार कर नियमानुसार बाद जांच उपरोक्तानुसार अपनी कृषि जोत में आने जाने हेतु नया रास्ता का आदेश फरमाया जावें।

प्रार्थीगण का आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार शिव से मौका रिपोर्ट तलब [illegible] गई। उक्त मौका रिपोर्ट में रास्ते हेतु केवल एक खसरा नम्बर से रास्ता प्रस्तावित [illegible] सेढे के अन्य खसरा नम्बर से रास्ता प्रस्तावित नहीं करने पर विप्रार्थी अ[illegible] तलब की जाकर प्राप्त की गई। उक्त पुनः मौका रिपो[illegible] किया जाकर रिपोर्ट तैयार की गई। मौका रिपोर्ट अनुसार प्रस्ता[illegible] 1 से 10 के खातेदा[illegible] खसरा नम्बर 75 रकबा 32.8766 हैक्टेयर में से रकबा 0.0856 हैक्[illegible], विप्रार्थी संख्या 15 से 19 [illegible] दारी खेत खसरा नम्बर 74 रकबा 6.7016 हैक्टेयर में से रकबा 0.0700 हैक्टेयर तथा विप्रार्थी संख्या 13 व 14 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 73 रकबा 2.4605 हैक्टेयर में से रकबा 0.0156 हैक्टेयर भूमि उपयोग मे ली जायेगी। उक्त प्रस्तावित रास्ते की चौड़ाई 08 मीटर है। उक्त प्रस्तावित मार्ग के अलावा प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक पहुंचने का कोई अन्य निकटतम रास्ता/विकल्प नही है। उक्त प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी के आवागमन हेतु निकटतम, लघुतम एवं सुगम विकल्प है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.02.18 09:54:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शिव

उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस मे आवेदन कि तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार प्रस्तावित रास्ता धारा 251 ए के आत्यांतिक आवश्यकता, निकटतम, लघुतम एवं अन्य प्रावधानों को पूरा करता है तथा उक्त प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीगण को स्वीकार होने से तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के संलग्न प्रस्तावित नक्शा अनुसार आवागमन हेतु नया रास्ता कटाण का आदेश किये जाने का निवेदन किया गया। विप्रार्थी संख्या 1 से 10 के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु अन्य निकटतम विकल्प उपलब्ध होने से प्रार्थीगण का आवेदन खारिज फरमाया जावें। विप्रार्थी संख्या 15 से 19 के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आपत्ति करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी में आने जाने हेतु अपने भाई के खेत में से रास्ता उपलब्ध होने से प्रार्थीगण का उक्त आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस को सुना एवं पत्रावली तथा तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार शिव से प्राप्त पुनः मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर पक्षकारान् को तलब किया जाकर रिपोर्ट तैयार की गई। मौका रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित रास्ते हेतु विप्रार्थी संख्या 1 से 10 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 75 रकबा 32.8766 हैक्टेयर में से रकबा 0.0856 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 15 से 19 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 74 रकबा 6.7016 हैक्टेयर में से रकबा 0.0700 हैक्टेयर तथा विप्रार्थी संख्या 13 व 14 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 73 रकबा 2.4605 हैक्टेयर में से रकबा 0.0156 हैक्टेयर भूमि उपयोग में ली जायेगी। उक्त प्रस्तावित रास्ते की चौड़ाई 08 मीटर है। उक्त प्रस्तावित मार्ग के अलावा प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक पहुंचने का कोई अन्य निकटतम रास्ता/विकल्प नहीं है। उक्त प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी के आवागमन हेतु निकटतम, लघुतम एवं सुगम विकल्प है। विप्रार्थी संख्या 1 से 10 के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में प्रार्थीगण के आवागमन हेतु अन्य विकल्प उपलब्ध होने का कथन किया गया है, जबकि ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया, जिससे स्पष्ट हो सके कि अन्य विकल्प उपलब्ध हो। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी के आवागमन हेतु निकटतम, लघुतम एवं सुगम विकल्प है। विप्रार्थी संख्या 15 से 19 के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थीगण के आवागमन हेतु उनके भाई के खेत में रास्ता उपलब्ध होने का कथन करते हुए आपत्ति की गई है, परन्तु अपनी आपत्ति के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये जाने पर उक्त आपत्ति अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार प्रस्तावित रास्ता कटाण बाबत् सहमति प्रदान की गई है। चूंकि प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीगण की आत्यांतिक आवश्यकता होने एवं निकटतम व लघुतम विकल्प होने पर रास्ते हेतु उपयोग में ली जाने वाली भूमि की वर्तमान डीएलसी दर से दुगुनी प्रतिफल राशि प्रार्थीगण द्वारा राजकीय खाता में जमा करवाई जाकर रास्ता कटाण किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः ऐसी स्थिति में तहसीलदार शिव से प्राप्त पुनः मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार प्रस्तावित रास्ता निकालने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जासुदा खेत मौजा लक्ष्मीपुरा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 60 रकबा 17.4824 हैक्टेयर भूमि में आवागमन हेतु तहसीलदार शिव से प्राप्त पुनः मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार विप्रार्थी संख्या 1 से 10 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 75 रकबा 32.8766 हैक्टेयर में से रकबा 0.0856 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 15 से 19 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 74 रकबा 6.7016 हैक्टेयर में से रकबा 0.0700 हैक्टेयर तथा विप्रार्थी संख्या 13 व 14 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 73 रकबा 2.4605 हैक्टेयर में से रकबा 0.0156 हैक्टेयर भूमि का वर्तमान डीएलसी दर से दुगुनी राशि का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा राजकीय खाता में जमा किये जाने के बाद प्रस्तावित रास्ते की भूमि का सरकारी खाते में राजकीय भूमि के रूप में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरस्ती सुनिश्चित किये जाने [illegible] तहसीलदार शिव को आदेशित किया जाता है। साथ ही तहसीलदार शिव जमा की गई राशि [illegible] प्रमाण [illegible] /रसीद अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उक्त [illegible] आवागमन हेतु खुला रहेगा। तहसीलदार शिव द्वारा मौका फर्द के संलग्न [illegible] नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.02.18 09:54:33 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) शिव

आदेश आज दिनांक 28.01.2026 को सरे इजलास सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) शिव